न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 20/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री विमल कुमार पुत्र श्री नारायण सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– नारायण सहाय विमल कुमार, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
2. आशा रावत 7 सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।
3. चिराग रावत 7 सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।

– अभियुक्तगण–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएसए एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 3 स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :–

दिनांकः– 01.8.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 14.11.2017 को दोपहर 02:30 बजे मैसर्स– नारायण सहाय विमल कुमार सुन्दरदास मार्ग, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री विमल कुमार पुत्र श्री नारायण सहाय गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 20 मूल पैक टीन 15 किलोग्राम वजन में पैक सरसो तेल (जेएनआर) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुये थे में मिलावट का शक होने एक मूल पैक टीन को खोलकर नमूने की जॉच हेतु 1600 ग्राम सरसो तेल (जेएनआर) खरीदा। जिसकी कीमत 144 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि खरीदशुदा सरसो तेल (जेएनआर) को चार साफ सूखी एवं कांच की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर बोतल को एयरटाइट ढक्कन से बन्द किया व लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

का बोतलो पर चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1816 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडो में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफबीओ (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सीलबंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा स्वयं द्वारा दिनांक 15.11.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि नमून की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 15.11.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 16.11.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (जेएनआर) के नमूने की जांच रिपोर्ट जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2690/एक्ट/2017/2762 दिनांक 06.12.2017 व निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (भारत सरकार) पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सीएफएल/डीओ–42/18/233/2018 दिनांक 14.03.2018 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। उक्त दोनो जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ सरसो तेल (जेएनआर) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 3 नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी फर्म नारायण सहाय, विमल कुमार ने रूक्मणी इण्डस्ट्रीज जैतपुरा जयपुर से बिल नं0 137 दिनांक 11.09.2017 के जरिये जेएनआर ब्राण्ड सरसों का तेल खरीदा था तथा मेरी फर्म बिल से माल खरीदती व बेचती है। इसलिये मेरी फर्म उपरोक्त प्रकरण में दोषी नहीं है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 द्वारा निवेदन किया गया कि मेरी फर्म रूक्मणी इण्डस्ट्रीज जैतपुरा जयपुर द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है, फिर भी किसी भी प्राकृतिक कारणों से हमारा सैम्पल सबस्टैण्डर्ड हो सकता है। अतः निवेदन है कि प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जावे एवं भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 20 / 2018 एफ एस एस एक्ट

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 2690 / एक्ट / 2017 / 2762 दिनांक 06.12.2017 व निदेशक रेफरल खाद्य प्रयोगशाला (भारत सरकार) पूणे की जांच रिपोर्ट संख्या सीएफएल / डीओ–42 / 18 / 233 / 2018 दिनांक 14.03.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल (जेएनआर) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ सरसो तेल (जेएनआर) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्रीमति आशा रावत 7, सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर पर 10,000 / –(अक्षरे दस हजार रूपये) एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 श्री चिराग रावत 7, सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैसर्स रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर पर 10,000 / –(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.8.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 10445–10449
दिनांकः– 01.8.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री विमल कुमार पुत्र श्री नारायण सहाय गुप्ता एफबीओ मैसर्सः– नारायण सहाय विमल कुमार, सुन्दरदास मार्ग, दौसा।
4. श्रीमति आशा रावत 7 सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैर्सस रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।
5. श्री चिराग रावत 7 सीकर हाउस कॉलोनी, जयपुर भागीदार मैर्सस रूक्मणी इण्डस्ट्रीज, 82 मंगलम इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैतपुरा जयपुर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा